भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 329
11 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नर्सिंग महाविद्यालयों में क्षेत्रीय असमानता

***329. श्री जगन्नाथ सरकार:**
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के 40 प्रतिशत जिलो में नर्सिंग अस्पतालों की कमी है और 42 प्रतिशत नर्सिंग संस्थान पांच दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं जबकि 17 प्रतिशत तीन पश्चिमी जिलों में स्थित हैं और यदि हां, तो कार्यरत नर्सिंग महाविद्यालयों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में नर्सिंग अस्पतालों/महाविद्यालयों की कमी और उनकी स्थापना में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या वर्ष 2014-15 से अवर-स्नातक नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप नर्सिंग सीटों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे आंकड़ों में क्षेत्रीय अंतर पैदा हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का अप्रैल, 2025 तक चिकित्सा महाविद्यालयों में 157 नए नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश का नर्स-जनसंख्या अनुपात 3:1000 के वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में 2.06:1000 है और यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में नर्स-जनसंख्या के अनुपात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

11 अगस्त, 2023 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 329 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): देश में 5203 नर्सिंग संस्थाएं हैं जिनमें 715 सरकारी संस्थाएं हैं। नर्सिंग कॉलेजों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम कराने वाली नर्सिंग संस्थाओं की संख्या वर्ष 2014 में 1641 थी जो वर्ष 2023 (मार्च, 23 तक) में 36% की वृद्धि के साथ 2229 हो गई है और इसी तरह स्नातक सीटें भी इसी अवधि में 83192 पर 40% की वृद्धि के साथ 116595 हो गई हैं। इसके अलावा, देश में 35.14 लाख पंजीकृत नर्सिंग कार्मिक हैं जिनसे नर्स और आबादी के बीच प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.06 नर्सों का अनुपात बनता है। नर्सिंग कॉलेजों/ संस्थाओं का वितरण विभिन्न भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है जिनसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में नर्सिंग शिक्षा की उपलब्धता और पहुंच प्रभावित होती है। इसलिए, नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाने और दी जा रही नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

(क) नर्सिंग स्कूल/ कॉलेज और छात्रावास के लिए भवन के निर्माण के लिए भूमि की अपेक्षा में ढील दी गई है।

(ख) पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 100 बिस्तरों का मूल अस्पताल होने की अपेक्षा में भी छूट दी गई है।

(ग) एमएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए छात्र और अध्यापक के बीच अपेक्षित अनुपात को 1:5 से कम करके 1:10 कर दिया गया है।

(घ) नर्सिंग संस्थानों के लिए छात्र और रोगी के बीच के अपेक्षित अनुपात को 1:5 से बदलकर 1:3 कर दिया गया है।

(ङ) नर्सिंग में दाखिले के लिए विवाहित उम्मीदवारों को भी अनुमति दे दी गई है।

(च) नर्सिंग कॉलेज के लिए अधिकतम 100 सीटें 300 बिस्तरों वाले मूल अस्पतालों को दी जाएंगी भले ही वो मेडिकल कॉलेज न हों।

(छ) नर्सिंग स्कूल से अस्पताल के बीच की अपेक्षित दूरी को 15 किमी से बढ़ाकर 30 किमी कर दिया गया है। हालांकि पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए अपेक्षित अधिकतम दूरी 50 किमी है।

(ज) डिप्लोमा और डिग्री में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों (अंकों) में 5% की ढील दी गई है।

(झ) एमएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने की अपेक्षा में भी ढील दी गई है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एमएससी (नर्सिंग) पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है भले ही उसमें स्नातक कार्यक्रम न हो।

(ञ) वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में उन मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है जिन्हें 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' नामक केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत अनुमोदित किया गया है। इससे सरकारी क्षेत्र में लगभग 15000 नर्सिंग सीटें और बढ़ जाएंगी।

(ट) 'नर्सिंग सेवाओं का विकास' नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अपने नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजों में उन्नत करने के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है।

अनुलग्नक

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार नर्सिंग संस्थानों का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**कुल नर्सिंग संस्थान**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	278
3	अरुणाचल प्रदेश	13
4	असम	91
5	बिहार	116
6	चंडीगढ़	4
7	छत्तीसगढ़	135
8	दादरा एवं नगर हवेली	1
9	दमन और दीव	1
10	दिल्ली	36
11	गोवा	4
12	गुजरात	220
13	हरियाणा	112
14	हिमाचल प्रदेश	57
15	जम्मू एवं कश्मीर	32
16	झारखंड	109
17	कर्नाटक	668
18	केरल	268
19	मध्य प्रदेश	431
20	महाराष्ट्र	713
21	मणिपुर	25
22	मेघालय	12
23	मिजोरम	12
24	नगालैंड	7
25	ओडिशा	188
26	पांडिचेरी/पुदुच्चेरी	16
27	पंजाब	250
28	राजस्थान	270
29	सिक्किम	5
30	तमिलनाडु	345
31	तेलंगाना	157
32	त्रिपुरा	15
33	उत्तर प्रदेश	365
34	उत्तराखंड	46
35	पश्चिम बंगाल	200

*****